

प्रेस रिलीज

दिनांक: 27.04.2016

## मेट्रो कोचो की गति सीमा में वृद्धि

रेल मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर मेसर्स BEML द्वारा निर्मित जयपुर मेट्रो की स्टेण्डर्ड गेज के लिए बनाए गये RS-8 कोचों की अधिकतम गति सीमा 60 किमी. प्रतिघण्टा से 80 किमी. प्रतिघण्टा बढ़ाने की अनुमति प्रदान कर दी है।

जयपुर मेट्रो के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री अश्वनी भगत ने बताया की यह 60 किमी. प्रतिघण्टे की गति सीमा रेलवे बोर्ड के द्वारा जयपुर मेट्रो पर परिचालन की अनुमति देते समय नये मेट्रो कोचो की परफॉर्मेंस तथा यात्रियों की संतुष्टि को जांचने हेतु लगाई थी। परिचालन के पश्चात् यह कोच अपनी कार्यक्षमता में पूर्ण संतोषजनक पाये गये। इसकी रिपोर्ट से संतुष्ट होने के पश्चात् रेलवे बोर्ड द्वारा यह गति सीमा 80 किमी. प्रतिघण्टा बढ़ाने की अनुमति प्रदान की गई है।

उन्होंने बताया की जयपुर मेट्रो द्वारा गाड़ियो की अधिकतम गति सीमा का लाभ मेट्रो ट्रेक की गति सीमा बढ़ने के पश्चात् मिलना शुरू हो जायेगा।

जन सम्पर्क अधिकारी